

राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(ग्रामीण विकास, अनुभाग-8)

क्रमांक: एफ 2(1)ग्रावि/अनु-8/2014/

जयपुर, दिनांक २.१.2016


बैठक कार्यवाही विवरण

शासन सचिव महोदय की अध्यक्षता में दिनांक 1.2.2016 को विभाग की योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की गयी। समीक्षा के दौरान निम्न निर्देश दिये गये:-

1. थर्ड पार्टी निरीक्षण हेतु आवंटित 27 जिलों में नियोजित एजेन्सी एवं व्यक्तियों में से 8 की रिपोर्ट प्राप्त हुई है। प्राप्त रिपोर्ट के संबंध में संबंधित जिले से टिप्पणी प्राप्त कर कार्यवाही प्रस्तावित करें। प्रत्येक माह की 3 तारीख को नियोजित एजेन्सी एवं व्यक्तियों की बैठक मुख्यालय पर बुलायी जाए तथा उन्हें निरीक्षण हेतु कार्यों की सूची उपलब्ध करायी जाए।
(एसई,आईएवाई)
2. इन्दिरा आवास योजना में कम प्रगति वाले प्रत्येक जिले से एक विकास अधिकारी के खिलाफ 17सीसी की चार्जशीट जारी की जाए। अभी तक 21 विकास अधिकारियों को चार्जशीट के लिए प्रपत्र अ,ब,स,द पूर्ण कर यूओ नोट पंचायतीराज विभाग को शासन सचिव महोदय की ओर से भिजवाया जाए।
 - आवास योजना में अब तक 100657 रजिस्ट्रेशन के विरुद्ध 79863 की स्वीकृति जारी कर 66657 परिवारों को प्रथम किश्त रिलीज की गयी। मस्टररोल जारी करने के संबंध में आयुक्त, महात्मा गांधी नरेगा के साथ अलग से बैठक बुलायी जाए।
 - अन्य चिन्हित वर्ग के लिए निर्धारित लक्ष्य 3000 के विरुद्ध 2866 का रजिस्ट्रेशन हुआ है। 1158 की स्वीकृति जारी हुई है। जिलों को 3000 तक की सीमा तक स्वीकृतियाँ जारी कर राशि का हस्तानान्तरण कराने के निर्देश दिये गये।
 - बीएसआर पर सामग्री क्रय करने का परिपत्र वित्त विभाग से प्राप्त कर प्रस्तुत करें।
 - आवास की फोटो को लाभार्थी /आवास सहायक द्वारा ई-मित्र से अनिवार्य रूप से अपलोड करने हेतु जिलों को आदेश जारी करावें।
 - करौली जिले की विजिट रिपोर्ट के संबंध में आवास योजना के लाभार्थी को पत्र जारी कराने के संबंध में आवश्यक कार्यवाही एक सप्ताह में पूर्ण करने के निर्देश दिये गये। दि० 10.2.2016 को मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद को मुख्यालय पर बुलाये जाने के आदेश जारी करें।
(एसई,आईएवाई)
3. 866 ग्राम पंचायतों में सामग्री टेण्डर नहीं हुए हैं। आगामी वित्तीय वर्ष में समय पर दर अनुसूची बने एवं सामग्री की निविदा निर्धारित हों की नियमित समीक्षा की जावे।
(एसई अभि० / वित्तीय सलाहकार)
4. मुख्यमंत्री आदर्श ग्राम पंचायत योजना में 189 ग्राम पंचायतों का चयन हुआ है। शेष के चयन हेतु मा० मंत्री महोदय की ओर से संबंधित विधायक को पत्र जारी करावें। एमएलए लैड/एमपी लैड में कार्यों की अनुशंसा आईडब्ल्यूएमएस में फीड करने हेतु मा० सांसद/विधायकगणों को लॉगिंग आईडी एवं पासवर्ड उपलब्ध करावें। इस हेतु मा० मंत्री महोदय की ओर से पत्र जारी करावें। राज्य को 50 करोड रुपये एसएजीवाई/एमएजीपीवाई में उपलब्ध हैं। जिलों को आवंटित राशि के दुगने तक स्वीकृतियाँ जारी करने के निर्देश जारी करावें।
(पीडी,एसएपी)
5. सांसद/मुख्य मंत्री आदर्श चयनित ग्राम पंचायतों की कार्यशाला आयोजित की गयी उसकी कार्यवाही विवरण जारी करें।


- (पीडी,एसएपी)
6. विभागीय वैबसाईट पर परिपत्र अपलोड करने हेतु कम्प्यूटर शाखा को हार्डकापी एवं ईमेल करायें।
(पीडी,एसएपी)
7. ग्रामीण विकास की योजनाओं में कन्टीनजेन्सी को स्पष्ट करने हेतु बैठक हो गयी है। बैठक में हुई चर्चानुसार किन्हीं तीन जिलों से फीडबैक लेकर पत्रावली प्रस्तुत करें।
(सं0शा0सचिव,प्रशा.)
8. बीएडीपी में ट्रेनिंग मद की राशि के शीघ्र उपयोग के संबंध में आरएसएलडीसी को फण्ड स्थानान्तरित किया जाए। उपलब्ध बजट सीमा के अन्तर्गत किया जाए।
(पीडी एसएपी)
9. विधान सभा के 7 आश्वासन लम्बित है। एसएपी प्रथम अनुभाग के -5, एसएपी द्वितीय अनुभाग के -1 एवं आवास के -1 लम्बित आश्वासन का निस्तारण करायें।
(योजना प्रभारी)
10. विभागीय योजनाओं की यूसी/सीसी समायोजन की स्थिति की समीक्षा आईडब्ल्यूएमएस पर समीक्षा की जाएगी।
(वित्तीय सलाहकार)
11. डांग, मगरा, मेवात योजना की बजट घोषणा एवं श्री योजना में माननीय मुख्यमंत्री महोदया के निर्देश अनुसार गांव में उपलब्ध एवं न्यूनतम आवश्यक सुविधाओं का चिन्हीकरण कर सर्वे हेतु आईएवाई एवं अन्य योजनाओं के प्रशासनिक मद का उपयोग कर ड्रेनेज प्लान तैयार करने के निर्देश जारी किये जावें। जिसमें आईएवाई के आवासों का सर्वेक्षण कार्य भी शामिल किया जावे।
(पीडी एसएपी/ प्रभारी श्री योजना)
12. गुणवत्ता नियंत्रण (क्वालिटी कन्ट्रोल) हेतु सिविल इन्जिनियरिंग कालेजों (सरकारी/गैर सरकारी) की प्रयोगशालाओं की रेट लेकर मुख्य कार्यकारी अधिकारियों को अवगत कराया जावे।
(एसई, आईएवाई)
13. 15-15 आईसी कॉर्डिनेटर लगाये गये है इनका उपयोग विभाग की योजनाओं के प्रचार प्रसार करने हेतु एक बैठक रखी जाए।
(पीडी मोएवंमू)
14. सामाजिक अंकेक्षण हेतु अलग से एक प्रतिशत खर्च का प्रावधान हेतु निदेशक, सामाजिक अंकेक्षण के साथ बैठक रखी जाए तथा आवास योजना का सामाजिक अंकेक्षण करवाने हेतु उदयपुर से फीडबैक प्राप्त किया जाए।
(एसई,आईएवाई)
15. विभिन्न योजनाओं में मैशन ट्रेनिंग आईएवाई से करवाने ड्राफ्ट तैयार कर प्रस्तुत करें।
(एसई, आईएवाई)
16. महात्मा गांधी नरेगा योजना में कॉल सेंटर का उपयोग विभाग की विभिन्न योजनाओं में किया जाए।
(पीडी म.गा.नरेगा)
17. सीएसआर के लिए आयुक्त उद्योग के साथ जिला बारां, धौलपुर एवं झालावाड के लिए विशेष सहायता के लिए इस माह में बैठक आयोजित की जाए। बैठक एजेण्डा प्रस्तुत करें।
(पीडी, मोएवंमू)
18. बांसवाडा,डूंगरपुर एवं उदयपुर जिले में आवास/एमएलएलैड की समीक्षा हेतु मुख्यालय से पीडी एवं पीओ को भेजा जावे। अनियमितता पायी जाने पर संबंधित मुख्य कार्यकारी अधिकारी/बीडीओ के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही प्रस्तावित की जाए।
(पीडी,मोएवंमू)
19. एमपी/एलएलए लैड योजना की जानकारी मा0 सांसदों/विधायकों को मुख्यालय से दी जाए।
(पीडी,मोएवंमू)

20. एसएजीवाई/एमएजीपीवाई को महात्मा गांधी नरेगा साफ्टवेयर में शामिल करने हेतु भारत सरकार को पत्र आयुक्त, महात्मा गांधी नरेगा के माध्यम से भिजवाया जाए।
(पीडी, एसएपी)
21. एनआईसी को समिति कक्ष में वीसी को सैटअप तैयार करने हेतु राशि रीलिज कर दी गयी है। 3 माह में सैटअप तैयार हो जायेगा।
(एसई,आवास)
22. अधिशाषी अभियन्ता (अभियान्त्रिकी) जिला परिषद की बैठक 12 फरवरी 2016 को बैठक आयोजित की जाऐ।
(पीडी,एमएण्डई)
23. पंचायतीराज से तीन योजनाओं को आईडब्ल्यूएमएस साफ्टवेयर में डालने हेतु प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। इस हेतु शासन सचिव एवं आयुक्त, पंचायतीराज को यूओ नोट जारी कराये जिसमें उक्त योजनाओं की मॉनिटरिंग हेतु नोडल अधिकारी को नियुक्त किया जाए।
(पीडी,मोएवंमू)
24. विभाग का प्रगति प्रतिवेदन 15.1.2016 को भिजवाया जाना था। योजना प्रभारियों से सूचना प्राप्त नहीं होने के कारण उन्हें स्मरण पत्र लिखाजाए।
(पीडी,एमएण्डई)


परि0निदे0 एवं पदेन उप सचिव (मोएवंमू)

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, ग्रा.वि.एवं पं.राज विभाग।
2. निजी सचिव, शासन सचिव, ग्रा.वि.विभाग।
3. संयुक्त शासन सचिव(प्रशासन) ग्रा.वि.विभाग।
4. वित्तीय सलाहकार, ग्रा.वि.विभाग।
5. परियोजना निदेशक एवं पदेन उप सचिव, एसएपी-एसएस, मोएवंमू ग्रा.वि. विभाग।
6. परियोजना निदेशक(एसएपी-II) ग्रा.वि.विभाग।
7. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, बायोपयूल।
8. अधीक्षण अभियन्ता, आईएवाई/श्रीयोजना।
9. प्रोग्रामर, ग्रामीण विकास को प्रति प्रेषित कर लेख है कि उक्त बैठक के निर्देश वैबसाईट पर अपलोड करना सुनिश्चित करें।


परि0निदे0 एवं पदेन उप सचिव (मोएवंमू)